



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(पंचायती राज)


क्रमांक :- एफ 186()परावि/लेखा/निरी-11/2015-16/ 641

दिनांक:- 11/04/2022

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 186()परावि/लेखा/निरी-11/2015-16/14397 दिनांक 30.03.2016 के द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र की दिनांक से एक वर्ष के अंदर ही भौतिक सत्यापन किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे।

यह तथ्य ध्यान में आया है कि उक्त आदेशों की पूर्ण एवं ठोस पालना नहीं की जा रही है। अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश की पूर्ण पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावे।


शासन सचिव

पंचायती राज विभाग

दिनांक:- 11/04/2022

क्रमांक :- एफ 186()परावि/लेखा/निरी-11/2015-16/ 641

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग
4. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा
5. निजी सहायक, निदेशक, पंचायती राज विभाग
6. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त।
7. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
10. कम्प्यूटर सैल, विभाग की वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली


शासन सचिव

पंचायती राज विभाग